भारत के प्रत्येक नागरिक को जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म–मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

जन्म–मृत्यु पंजीकरण हेतु सामान्य प्रक्रिया

जन्म पंजीकरण–

- **संस्थागत (अस्पताल) जन्म होने पर–**
  1. आवेदन फार्म–1
  2. जन्म रिपोर्ट कार्ड
  3. माता/पिता का पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड एवं अन्य) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

- **घर पर जन्म होने पर–**
  1. आवेदन फार्म–1
  2. रूपये 10/– का शपथ पत्र नोटरी सहित
  3. सम्बन्धित आर0डब्ल्यू0ए0/सोसाईटी मैनेजमेण्ट का पत्र/टीकाकरण कार्ड
  4. बच्चे के पिता का पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड एवं अन्य) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
  5. बच्चे के माता का पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड एवं अन्य) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

- **अन्य स्थान पर जन्म–**
  1. आवेदन फार्म–1
  2. रूपये 10/– का शपथ पत्र नोटरी सहित
  3. स्थानीय टीकाकरण कार्ड/पुलिस/वाहन चालक/क्लीनिक अथवा अन्य समाजसेवी संस्थाओं द्वारा जारी रिपोर्ट/पत्र।

4. बच्चे के पिता का पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड एवं अन्य) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
5. बच्चे के माता का पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड एवं अन्य) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

- **गोद लेने पर जन्म का पंजीकरण–**

1. आवेदन फार्म–1ए
2. बच्चे के मूल माता एवं पिता का पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड एवं अन्य) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
3. बच्चे के दत्तक माता एवं पिता का पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड एवं अन्य) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4. स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश पत्र।
5. रूपये 10/– का शपथ पत्र नोटरी सहित
6. स्थानीय टीकाकरण कार्ड/पुलिस/वाहन चालक/क्लीनिक अथवा अन्य समाजसेवी संस्थाओं द्वारा जारी रिपोर्ट/पत्र।
7. बच्चे के पिता का पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड एवं अन्य) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
8. बच्चे के माता का पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड एवं अन्य) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

मृत्यु पंजीकरण–

- आवेदक द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने हेतु रजिस्ट्रार कार्यालय में 21 दिन के अन्दर आवेदन करना आवश्यक है।
- **संस्थागत (अस्पताल) मृत्यु होने पर–**

1. आवेदन फार्म–2
2. चिकित्सीय प्रमाण पत्र–4ए
3. शवदाह की पर्ची
4. मृतक का पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड एवं अन्य) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
5. आवेदक का पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड एवं अन्य) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

- <u>घर पर मृत्यु होने पर–</u>

1. आवेदन फार्म–2
2. शवदाह की पर्ची
3. रूपये 10/– का शपथ पत्र नोटरी सहित
4. सम्बन्धित आर0डब्ल्यू0ए0/सोसाईटी मैनेजमेण्ट का पत्र)
5. मृतक का पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड एवं अन्य) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
6. आवेदक का पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड एवं अन्य) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

- <u>अन्य स्थान पर मृत्यु होने पर –</u>

1. आवेदन फार्म–2
2. शवदाह की पर्ची
3. रूपये 10/– का शपथ पत्र नोटरी सहित
4. पुलिस रिपोर्ट/पंचनामा रिपोर्ट
5. पोस्टमार्टम रिपोर्ट
6. मृतक का पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड एवं अन्य) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
7. आवेदक का पहचान पत्र (आधार/वोटर कार्ड एवं अन्य) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

नोट–

1. जन्म–मृत्यु पंजीकरण अधिनियम–1969 के अनुसार जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना रजिस्ट्रार को घटना घटित होने के 21 दिन के बाद और 30 दिन के भीतर दिये जाने पर उसका रजिस्ट्रेशन विलम्बित फीस जमा करने पर किया जायेगा।

2. जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना रजिस्ट्रार को घटना घटित होने के 30 दिन के बाद परन्तु एक वर्ष के भीतर दिये जाने पर उसका रजिस्ट्रेशन तब हो सकता है, जब नोटेरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी के सामने शपथ पत्र प्रस्तुत करने के साथ लिखित अनुज्ञा के आधार पर विलम्बित फीस जमा करने के उपरान्त पंजीकरण किया जायेगा।

2. जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन घटना घटित होने के बाद एक साल तक न हो हुआ हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन घटना के सत्यापन के बाद प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की आज्ञा/अनुज्ञा और विलम्बित फीस जमा करने के उपरान्त पंजीकरण किया जायेगा।
3. किसी भी बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र बिना नाम के जारी किया जा सकता है। तत्पश्चात माता–पिता/अभिभावक 15 वर्ष के अन्दर विधिक प्रपत्र देकर कभी भी बच्चे का नाम पंजीकृत करा सकते हैं।
4. संस्थागत घटना के अतिरिक्त हुई जन्म–मृत्यु हेतु आवेदक www.crsorgi.gov.in पोर्टल पर General Public Signup पर 21 दिन के अन्दर आवेदन कर सकता है, परन्तु आवेदक को घटना से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र रजिस्ट्रार कार्यालय में उपलब्ध कराने आवश्यक हैं।

रजिस्ट्रार कार्यालय को प्राप्त आवेदनों में से घर अथवा अन्य स्थानों पर घटित घटनाओं के क्रम में अधीनस्थ स्टाफ द्वारा जॉच की जायेगी। यदि किसी आवेदन में संदेह होगा, तो प्राप्त साक्ष्यों के क्रम में उसका सत्यापन कराया जायेगा, इसके पश्चात आवेदन से सम्बन्धित सभी सूचनाओं को ऑन लाईन फीड करते हुए प्राप्त प्रपत्रों को स्कैन कर उनकी पी0डी0एफ0 को www.crsorgi.gov.in पर अपलोड करते हुए प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

रजिस्ट्रार
जन्म–मृत्यु पंजीयन
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण।